

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी वधियक, 2021

प्रलिस के लयः

डोपग, नाडा, वाडा ।

मेन्स के लयः

राष्ट्रीय डोपग रोधी वधियक, 2021 के प्रावधान और संबंधित मुद्दे ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **लोकसभा** ने राष्ट्रीय डोपग रोधी वधियक, 2021 पारित किया, जो राष्ट्रीय डोपग रोधी एजेंसी (NADA) के लिये वैधानिक ढाँचा तैयार करने का प्रयास करता है ।

- केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसे पहली बार दिसंबर, 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था ।
- यह वधियक खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करेगा क्योंकि यह उन्हें अपना पक्ष रखने के लिये पर्याप्त जगह प्रदान करेगा, खासकर जब वे डोपग रोधी आरोपों का सामना कर रहे हों ।

वधियक की मुख्य विशेषताएँ:

- **डोपग का निषेध:**
 - वधियक एथलीटों, एथलीट सपोर्ट कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को खेल में डोपग में शामिल होने से रोकता है ।
- **उल्लंघन के परिणाम:**
 - डोपग रोधी नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप खिलाड़ी को अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें **पदक, अंक और पुरस्कार की जब्ती, निर्धारित अवधि के लिये किसी प्रतियोगिता या कार्यक्रम में भाग लेने की अयोग्यता, वित्तीय प्रतिबंध आदि** शामिल हैं ।
- **राष्ट्रीय डोपग रोधी एजेंसी हेतु वैधानिक समर्थन:**
 - वधियक राष्ट्रीय डोपग रोधी एजेंसी को वैधानिक निकाय के रूप में गठित करने का प्रावधान करता है ।
 - इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक करेगा । एजेंसी के कार्यों में शामिल हैं:
 - डोपग रोधी गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी निगरानी करना ।
 - डोपग रोधी नियमों के उल्लंघन की जाँच ।
 - डोपग रोधी अनुसंधान को बढ़ावा देना ।
- **खेल में राष्ट्रीय डोपग रोधी बोर्ड (National Board for Anti-Doping in Sports):**
 - डोपग रोधी विनियमन और डोपग रोधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधिताओं के अनुपालन पर सरकार को सफाई करने के लिये वधियक खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय डोपग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है ।
 - **बोर्ड एजेंसी की गतिविधियों की निगरानी करेगा और उसे निर्देश जारी करेगा ।**
- **डोप परीक्षण प्रयोगशालाएँ:**
 - मौजूदा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला माना जाएगा ।
 - केंद्र सरकार और अधिक राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सकती है ।

वधियक का महत्व:

- डोपग से लड़ने में एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के अलावा वधियक एथलीटों को समयबद्ध न्याय प्राप्त करने का प्रयास करता है ।
- यह खेलों के लिये अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने हेतु भारत की प्रतिबंधिता को सुदृढ़ करने का भी एक प्रयास है ।
- यह वधियक डोपग रोधी निरणय के लिये एक मज़बूत, स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने में मदद करेगा ।
- यह वधियक नाडा और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) के कामकाज को कानूनी मान्यता देगा ।

वधियक से संबद्ध मुद्दे:

- महानदिशक की योग्यता वधियक में नरिदषिट नहीं हैं और नयिमों के माध्यम से अधसूचित करने के लिए छोड़ दी गई हैं।
- केंद्र सरकार दुरव्यवहार या अक्षमता या "ऐसे अन्य आधार" पर महानदिशक को पद से हटा सकती है।
- इन प्रावधानों को केंद्र सरकार के वविक पर छोड़ने से महानदिशक की स्वतंत्रता प्रभावति हो सकती है।
 - यह वशि्व डोपगि रोधी एजेंसी के अधदिश के वरिद्ध भी है कि ऐसे नकियों को अपने संचालन में स्वतंत्र होना चाहिये।
- बलि के तहत बोर्ड के पास अनुशासन पैनल और अपील पैनल के सदस्यों को उन आधारों पर हटाने का अधिकार है जो वनियिमों द्वारा नरिदषिट किये जाऐगे और बलि में नरिदषिट नहीं हैं।
- इसके अलावा उन्हें सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। यह इन पैनलों के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावति कर सकता है।

डोपगि और संबंधति एजेंसियाँ:

- परचिय:
 - प्रदर्शन बढ़ाने के लिये खिलाड़ियों द्वारा कुछ नषिदिध पदार्थों का सेवन।
- राष्ट्रीय डोपगि रोधी एजेंसी (NADA):
 - राष्ट्रीय डोपगि रोधी एजेंसी (NADA) को भारत में डोप मुक्त खेलों के लिये एक जनादेश के साथ 24 नवंबर, 2005 को सोसायटी पंजीकरण अधनियिम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापति किया गया था।
 - इसका प्राथमकि उद्देश्य वशि्व डोपगि रोधी एजेंसी (WADA) कोड के अनुसार डोपगि रोधी नयिमों को लागू करना, डोप नयित्रण कार्यक्रम को वनियिमति करना, शकिषा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा डोपगि एवं इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
 - नाडा के पास इसके लिये आवश्यक अधिकार और ज़मिमेदारी है:
 - डोपगि नयित्रण में योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, नगिरानी और सुधार की वकालत करना;
 - अन्य प्रासंगकि राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और अन्य डोपगि रोधी संगठनों आदि के साथ सहयोग करना।
- वाडा:
 - नवंबर 1999 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपकि समति के तहत वशि्व डोपगि रोधी एजेंसी (WADA) की स्थापना की गई थी।
 - खेल में डोपगि के खिलाफ यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (2005) द्वारा WADA को मान्यता दी गई है।
 - WADA की प्राथमकि भूमिका सभी खेलों और देशों में एंटी-डोपगि नयिमों को वकिसति करना, सामंजस्य तथा समन्वय स्थापति करना है।
 - यह वशि्व डोपगि रोधी संहति (वाडा कोड) और उसके मानकों के उचति कार्यान्वयन को सुनशिचति करने, डोपगि की घटनाओं की जाँच करने, डोपगि पर शोध करने, खिलाड़ियों व संबंधति कर्मियों को डोपगि रोधी नयिमों के बारे में शकिषति करने का कार्य करता है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस